भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 5527
04 अप्रैल, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एम्स जोधपुर

5527. श्री हनुमान बेनीवालः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि पूर्व में एम्स जोधपुर ने सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) में किसी प्रावधान के अभाव में तथा बिना किसी कानूनी आधार के एम्स गोरखपुर को सर्वर/सॉफ्टवेयर पट्टे पर दिए थे, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो जांच रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है तथा नियमों का उल्लंघन कर ऐसे कार्य में संलिप्त अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या एक निजी कंपनी द्वारा एम्स गोरखपुर और जोधपुर को सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सेवाएं प्रदान करना एम्स जोधपुर और गोरखपुर द्वारा अनुमोदित नियमों का उल्लंघन है;

(ङ) क्या एम्स जोधपुर और गोरखपुर के अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और उक्त कंपनी के साथ उनकी मिलीभगत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार का विचार आईटी कंपनी को दिए गए विभिन्न कार्यों के मद्देनजर मामले की जांच किसी केंद्रीय एजेंसी से कराने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा जांच कब तक पूरी हो जाएगी?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (च): एम्स जोधपुर ने एम्स गोरखपुर के मेंटर संस्थान के रूप में अगस्त 2019 में मेसर्स एल्गोरिथम इन्फोवेब प्राइवेट लिमिटेड को मासिक भुगतान के आधार पर एम्स गोरखपुर के लिए बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी), संकाय, छात्र और परीक्षा सेवा मॉड्यूल चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की व्यवस्था के लिए कार्य आदेश जारी किया है। अगस्त 2020 से, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग (सी-डैक) एम्स, गोरखपुर में अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) सेवाएं प्रदान कर रहा है। नियमों के उल्लंघन सहित, जैसा भी मामला हो, उक्त मामले के तथ्यों के निर्धारण के लिए एक प्रारंभिक जांच समिति को आदेश दिया गया था। रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है।

*****